राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुमान-1)


आदेश

प्रशासनिक सुधार विभाग में वर्तमान में समाप्त हो रहे निम्नांकित कार्य सेंटर फॉर गूड गवर्नेंस, हरियाणा माध्यम राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को सेंटर के अन्य नियमित कार्यों के अलावा अद्ययाल व्यवस्था तक सापेक्ष जाले हैंः—

1. ‘आपका जिला आपकी सरकार’ कार्यक्रम
2. ‘सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम
3. ‘राजस्थान सम्पक पोर्टल’ पर दर्ज जन शिक्षा पालकों एवं परिवेशनों के
   निर्देशन के परिवर्तन का कार्य
4. मंत्रीसमूह (Group of Ministers) और जिला प्रशासनीक मंत्रीसमूह एवं
   जिला प्रशासनीक सचिवालय के भरण से संबंधित कार्य
5. संसदीय सचिवालय को आवश्यक जन अभियोग निरस्करण के
   परिवर्तन से संबंधित कार्य

राज्य सरकार के कार्य विश्वास नियमों के अनुसार एवं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय के परिषेध में उपरोक्त कार्यों के संपादन एवं प्रक्रियाओं के संदर्भ में कोई त्रिसंधान उपन्यास नहीं हो इस हेतु भिन्न व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः—

1. सेंटर फॉर गूड गवर्नेंस द्वारा उपरोक्त कार्यों के प्रतिवेदन/रिपोर्ट
   प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं जन अभियोग निरस्करण
   विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव/मामूल्यमत्री को प्रस्तुत विधेयक जाएँगे।
2. उक्त कार्यों के संदर्भ में माननीय मंत्रीसमूह, संसदीय सचिवालयों,
   सचिवालयों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों एवं अन्य संबंधितों को
   सेंटर फॉर गूड गवर्नेंस द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देश प्रमुख
   शासन सचिव एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जारी किये
   जाएँगे।

(श्री बी. मीना)
मुख्य सचिव
प्रतिलिपि निम्नाकाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रभावित है :-

1. शासन सचिव/सचिव द्वितीय, मानवीय मुख्यमंत्री।
2. समस्त विशेषतः सहाय्यक, मानवीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिवालय
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवालय
4. विरिया उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष
6. समस्त समाकायी आयुक्त
7. समस्त जिला कालेक्टर
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं महानिदेशक, हरिशंकर माधवर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
9. सदस्य सचिव, संयुक्त कार्यालय गुजरात, हरिशंकर माधवर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को प्रभावित कर लें है कि उक्त कार्यों के संदर्भ में अब तक जारी किए गए निर्देश/परिपत्रों आदि की प्रतियां प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को निर्देश देंगे।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं जन अभियोग निर्देशक विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमंडल सचिवालय।
12. विशेषतः शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
13. निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, शासन सचिवालय, जयपुर
14. शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
15. विरिया उप सचिव, जन अभियोग निर्देशक विभाग।
16. प्रधान मंत्री/प्रधान मंत्री, सचिवालय कार्यालय
17. समस्त अनुमोदन/प्रकोप प्रशासनिक सुधार विभाग एवं जन अभियोग निर्देशक विभाग
18. रक्षति पत्रावली

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव